



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सामान्य प्रशासन

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – adm.prsu@yahoo.in

// आदेश //

क्रमांक / 3156 / रथा. / सा.प्रशा. / 2023

रायपुर, दिनांक 14/07/2023


विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 2884 / रथा. / सा.प्रशा. / 2023 दिनांक 26.06.2023 के अनुक्रम में विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में निम्नलिखित अम्यर्थियों को अध्यापन कार्य में सहायता हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में सत्र 2023-24 के लिए आदेश की तिथि या कार्यप्रारंभ की तिथि जो भी बाद में हो, से एक माह के लिए तत्पश्चात् एक दिन अंतराल रखकर एक-एक माह के लिए (30.04.2024 तक) रु. 300/- प्रति व्याख्यान(4 कालखण्ड प्रतिदिन) अधिकतम रु 31200/- (रु इकतीस हजार दो सौ) प्रतिमाह मानदेय पर आमंत्रित करने हेतु अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है:-

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 01 श्री राजभारती | 02. श्रीमती दुलारी सिरमौर |
| 03 डॉ. अमन झा | 04. डॉ. श्रीमती आराधना शुक्ला |
| 05. डॉ. श्रीमती उमेश यादव | 06. कु. निधि सिंह |
| 07. श्री अभय कुमार तिवारी | 08. श्री सुवराता मण्डल |
| 09. श्री भावेश चरयानी | |

टीप:- यह आदेश विभाग में नियमित प्राध्यापक के नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण पर स्वतः शून्य हो जावेगा। अतिथि व्याख्याताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त होने या शैक्षणिक कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर किसी भी समय विना पूर्व सूचना के नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। अतिथि व्याख्याता के रूप में विभाग द्वारा की गई नियुक्ति भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा।

अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय भुगतान हेतु देयक प्रत्येक माह 01 से 05 तारीख तक वित्त विभाग को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ. क्रमांक / 3157 / रथा. / सा.प्रशा. / 2023

रायपुर, दिनांक 14/07/2023

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला,
2. वित्त नियंत्रक,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।


सहा.कुलसचिव(सा.प्रशा.)

P